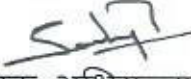


वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्र।

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु विभिन्न उपलब्ध विकल्पों पर विचार किया गया व वर्तमान विकल्प को सर्वदा उपयुक्त पाया गया।


कनिष्ठ अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


यूनिट अधिकारी, गुप्तकाशी
यूनिट गुप्तकाशी


उपप्रधान वनाधिकारी
जखवाली वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

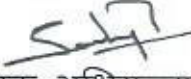
प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग।

वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्र।

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु विभिन्न उपलब्ध विकल्पों पर विचार किया गया व वर्तमान विकल्प को सर्वदा उपयुक्त पाया गया।


कनिष्ठ अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


यूनिट अधिकारी, गुप्तकाशी
यूनिट गुप्तकाशी


उपप्रधान वनाधिकारी
जखवाली वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग।

संरेखण आख्या

कार्य का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगु-बरमाडी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित।

मार्ग की स्वीकृति:- शासनादेशसंख्या 2555/III (2) /06-41 (प्रा.आ.)/06 दिनांक 26-09-2006।

स्वीकृत लम्बाई:- 4.00 किमी. सेतु सहित।

वास्तविक लम्बाई:- 4.400 कि.मी.

लागत:- रु 289.50 लाख।

संरेखण की उपयोगिता:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगु-बरमाडी मोटर मार्ग मयाली-गुप्तकाशी के किमी. 10.00 है.मी. 4-6 से प्रस्तावित है। यह मार्ग पूर्व में ही 4.00 कि.मी. लम्बाई में निर्मित है। उक्त मार्ग का समरेखण कि.मी. 4.5 से आगे प्रारम्भ होता है उक्त मार्ग का समरेखण पूर्व के पत्रांक शासनादेश संख्या 6391/68 याता.-07/ दिनांक 08.09.2007 द्वारा 5.435 कि.मी. लम्बाई हेतु स्वीकृत था। उक्त समरेखण पर वन भूमि प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया है पुनः उक्त मार्ग का सर्वेक्षण कार्य कर समरेखण प्रस्ताव 4.40 कि.मी. लम्बाई हेतु गठित किया गया है यह समरेखण पूर्व निर्मित मार्ग से आगे प्रारम्भ होकर टिमरिया-पल्ला-वल्ला को जोड़ते हुए मन्दाकिनी नदी पर निर्मित सेतु को जोड़ता है पुनः वन विभाग के निदेशावली वन भूमि प्रस्ताव को जोड़ते हुए मन्दाकिनी नदी पर निर्मित सेतु उक्त समरेखण निर्मित पुल के बाई ओर से किया गया है क्योंकि दांयी ओर भूमि धसांव भाग होने से मार्ग सुरक्षित नहीं उक्त मार्ग का निर्माण कार्य सेतु की ओर से प्रारम्भ किया जा सकता है क्योंकि सेतु से टिमरिया तक लगभग 2 कि.मी. तक नाप भूमि पडती है तथा ग्राम बरमाडी वासी नापभूमि देने में सहमत है तथा मार्ग निर्माण से निर्मित सेतु का भी सदुपयोग किया जा सकेगा तथा टिमरिया-पल्ला व टिमरिया वल्ला ग्राम एन. एच.-107 से जुड़ जायेगा तथा मार्ग में निर्मित सेतु का भी सदुपयोग किया जा सकेगा उक्त समरेखण का भू-वैज्ञानिक द्वारा सर्वेक्षण सन्तोषजनक प्राप्त होने पर निर्माण किया गया है।

अतः मार्ग का संरेखण तकनीकी दृष्टिकोण एवं स्थानीय ग्रामवासियों की सहमति के आधार पर गठित कर पुनरीक्षित समरेखण अनुमोदन हेतु प्रेषित है।

संरेखण का विवरण:- इस प्रकार सर्वे आफ इण्डिया के कन्टूर, मानचित्र पर प्रस्तावित समरेखण क्रमशः लाल एवं हरे रंग से दर्शाया गया है। जिसमें लाल रंग प्रस्तावित संरेखण से क्षेत्र की जनता सन्तुष्ट है तथा तुलनात्मक विवरण के अनुसार प्रस्तावित संरेखण (1) ही उचित है।

अतः प्रस्तावित संरेखण जो कि लाल रंग से अंकित है संस्तुति सहित अनुमोदन हेतु प्रेषित।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० डि० वि०
रुद्रप्रयाग

अभिधीसी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० डि० वि०

संरेखण आख्या

कार्य का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगु-बरमाडी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित।

मार्ग की स्वीकृति:- शासनादेशसंख्या 2555/III (2) /06-41 (प्रा.आ.)/06 दिनांक 26-09-2006।

स्वीकृत लम्बाई:- 4.00 किमी. सेतु सहित।

वास्तविक लम्बाई:- 4.400 कि.मी.

लागत:- रु 289.50 लाख।

संरेखण की उपयोगिता:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगु-बरमाडी मोटर मार्ग मयाली-गुप्तकाशी के किमी. 10.00 है.मी. 4-6 से प्रस्तावित है। यह मार्ग पूर्व में ही 4.00 कि.मी. लम्बाई में निर्मित है। उक्त मार्ग का समरेखण कि.मी. 4.5 से आगे प्रारम्भ होता है उक्त मार्ग का समरेखण पूर्व के पत्रांक शासनादेश संख्या 6391/68 याता.-07/ दिनांक 08.09.2007 द्वारा 5.435 कि.मी. लम्बाई हेतु स्वीकृत था। उक्त समरेखण पर वन भूमि प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया है पुनः उक्त मार्ग का सर्वेक्षण कार्य कर समरेखण प्रस्ताव 4.40 कि.मी. लम्बाई हेतु गठित किया गया है यह समरेखण पूर्व निर्मित मार्ग से आगे प्रारम्भ होकर टिमरिया-पल्ला-वल्ला को जोड़ते हुए मन्दाकिनी नदी पर निर्मित सेतु को जोड़ता है पुनः वन विभाग के निदेशावली वन भूमि प्रस्ताव को जोड़ते हुए मन्दाकिनी नदी पर निर्मित सेतु उक्त समरेखण निर्मित पुल के बाई ओर से किया गया है क्योंकि दांयी ओर भूमि धसांव भाग होने से मार्ग सुरक्षित नहीं उक्त मार्ग का निर्माण कार्य सेतु की ओर से प्रारम्भ किया जा सकता है क्योंकि सेतु से टिमरिया तक लगभग 2 कि.मी. तक नाप भूमि पडती है तथा ग्राम बरमाडी वासी नापभूमि देने में सहमत है तथा मार्ग निर्माण से निर्मित सेतु का भी सदुपयोग किया जा सकेगा तथा टिमरिया-पल्ला व टिमरिया वल्ला ग्राम एन. एच.-107 से जुड़ जायेगा तथा मार्ग में निर्मित सेतु का भी सदुपयोग किया जा सकेगा उक्त समरेखण का भू-वैज्ञानिक द्वारा सर्वेक्षण सन्तोषजनक प्राप्त होने पर निर्माण किया गया है।

अतः मार्ग का संरेखण तकनीकी दृष्टिकोण एवं स्थानीय ग्रामवासियों की सहमति के आधार पर गठित कर पुनरीक्षित समरेखण अनुमोदन हेतु प्रेषित है।

संरेखण का विवरण:- इस प्रकार सर्वे आफ इण्डिया के कन्टूर, मानचित्र पर प्रस्तावित समरेखण क्रमशः लाल एवं हरे रंग से दर्शाया गया है। जिसमें लाल रंग प्रस्तावित संरेखण से क्षेत्र की जनता सन्तुष्ट है तथा तुलनात्मक विवरण के अनुसार प्रस्तावित संरेखण (1) ही उचित है।

अतः प्रस्तावित संरेखण जो कि लाल रंग से अंकित है संस्तुति सहित अनुमोदन हेतु प्रेषित।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० डि० वि०
रुद्रप्रयाग

अभिधीसी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० डि० वि०

तुलनात्मक विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	समरेखण (1) लाल रंग में	समरेखण (2) हरा रंग में
1.	मुख्य विशेषताएँ एवं विवरण	यह मार्ग पूर्व में ही 4.00 कि.मी. लम्बाई में निर्मित है। उक्त मार्ग का समरेखण कि.मी. 4.5 से आगे प्रारम्भ होता है उक्त मार्ग का समरेखण पूर्व के पत्रांक शासनादेश संख्या 6391/68 याता.-07/ दिनांक 08.09.2007 द्वारा 5.435 कि.मी. लम्बाई हेतु स्वीकृत था। उक्त समरेखण पर वन भूमि प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया है पुनः उक्त मार्ग का सर्वेक्षण कार्य कर समरेखण प्रस्ताव 4.40 कि.मी. लम्बाई हेतु गटित किया गया है यह समरेखण पूर्व निर्मित मार्ग से आगे प्रारम्भ होकर टिमरिया-पल्ला-वल्ला को जोड़ते हुये मदाकिनी नदी पर निर्मित सेतु को जोड़ता है उक्त समरेखण निर्मित पुल के बाई ओर से किया गया है क्योंकि दांयी ओर भूमि धसांव भाग होने से मार्ग सुरक्षित नहीं उक्त मार्ग का निर्माण कार्य सेतु की ओर से प्रारम्भ किया जा सकता है क्योंकि सेतु से टिमरिया तक लगभग 2 कि.मी. तक नाप भूमि पडती है तथा ग्राम बरमाडी वासी नापभूमि देने में सहमत है तथा मार्ग निर्माण से निर्मित सेतु का भी सदुपयोग किया जा सकेगा तथा टिमरिया-पल्ला व टिमरिया वल्ला ग्राम एन. एच.-107 से जुड जायेगा तथा मार्ग में निर्मित सेतु का भी सदुपयोग किया जा सकेगा	समरेखण नं. 1 के अनुसार सेतु के दायी ओर से लम्बाई 5.435 कि.मी.।
2.	प्रास्तवित दृष्टिकोण से समरेखण की लम्बाई	4.40 किमी.	5.435 किमी.
3.	वर्तमान यातायात के साधन	पैदल मार्ग	पैदल मार्ग

तुलनात्मक विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	समरेखण (1) लाल रंग में	समरेखण (2) हरा रंग में
1.	मुख्य विशेषताएँ एवं विवरण	यह मार्ग पूर्व में ही 4.00 कि.मी. लम्बाई में निर्मित है। उक्त मार्ग का समरेखण कि.मी. 4.5 से आगे प्रारम्भ होता है उक्त मार्ग का समरेखण पूर्व के पत्रांक शासनादेश संख्या 6391/68 याता.-07/ दिनांक 08.09.2007 द्वारा 5.435 कि.मी. लम्बाई हेतु स्वीकृत था। उक्त समरेखण पर वन भूमि प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया है पुनः उक्त मार्ग का सर्वेक्षण कार्य कर समरेखण प्रस्ताव 4.40 कि.मी. लम्बाई हेतु गटित किया गया है यह समरेखण पूर्व निर्मित मार्ग से आगे प्रारम्भ होकर टिमरिया-पल्ला-वल्ला को जोड़ते हुये मदाकिनी नदी पर निर्मित सेतु को जोड़ता है उक्त समरेखण निर्मित पुल के बाई ओर से किया गया है क्योंकि दांयी ओर भूमि धसांव भाग होने से मार्ग सुरक्षित नहीं उक्त मार्ग का निर्माण कार्य सेतु की ओर से प्रारम्भ किया जा सकता है क्योंकि सेतु से टिमरिया तक लगभग 2 कि.मी. तक नाप भूमि पडती है तथा ग्राम बरमाडी वासी नापभूमि देने में सहमत है तथा मार्ग निर्माण से निर्मित सेतु का भी सदुपयोग किया जा सकेगा तथा टिमरिया-पल्ला व टिमरिया वल्ला ग्राम एन. एच.-107 से जुड जायेगा तथा मार्ग में निर्मित सेतु का भी सदुपयोग किया जा सकेगा	समरेखण नं. 1 के अनुसार सेतु के दायी ओर से लम्बाई 5.435 कि.मी.।
2.	प्रास्तवित दृष्टिकोण से समरेखण की लम्बाई	4.40 किमी.	5.435 किमी.
3.	वर्तमान यातायात के साधन	पैदल मार्ग	पैदल मार्ग

4.	भूमि (अ) सिविल भूमि (ब) कृषि योग्य भूमि 5. सिंचित 6. असिंचित	शून्य 2.60 1.80 कमी.	शून्य 1.20 4.235 किमी.
5.	सूर्य प्रकाशित भूभाग	सम्पूर्ण लम्बाई में	सम्पूर्ण लम्बाई में
6.	भूस्खलन	शून्य	शून्य
7.	भूमि	मिट्टी, पत्थर, कठोर चट्टान आदि	मिट्टी, पत्थर, अत्यधिक कठोर चट्टान आदि
8.	वनस्पति	पैड़ पौधे व गैर इमारती	पैड़ पौधे व इमारती
9.	मार्ग का ढाल	समतल	समतल
10.	अनुप्रस्थ ढाल—1. सामान्य ढाल 2. तीव्र ढाल	4.400 किमी. शून्य	5435 किमी. शून्य
11.	भू-भाग 1. कठोर चट्टान 2. कोमल चट्टान	1.00 किमी. 3.40 किमी.	1.000 किमी. 4.43500 किमी.
12.	अस्थिर भूमि की लम्बाई	शून्य	शून्य

4.	भूमि (अ) सिविल भूमि (ब) कृषि योग्य भूमि 5. सिंचित 6. असिंचित	शून्य 2.60 1.80 कमी.	शून्य 1.20 4.235 किमी.
5.	सूर्य प्रकाशित भूभाग	सम्पूर्ण लम्बाई में	सम्पूर्ण लम्बाई में
6.	भूस्खलन	शून्य	शून्य
7.	भूमि	मिट्टी, पत्थर, कठोर चट्टान आदि	मिट्टी, पत्थर, अत्यधिक कठोर चट्टान आदि
8.	वनस्पति	पैड़ पौधे व गैर इमारती	पैड़ पौधे व इमारती
9.	मार्ग का ढाल	समतल	समतल
10.	अनुप्रस्थ ढाल—1. सामान्य ढाल 2. तीव्र ढाल	4.400 किमी. शून्य	5435 किमी. शून्य
11.	भू-भाग 1. कठोर चट्टान 2. कोमल चट्टान	1.00 किमी. 3.40 किमी.	1.000 किमी. 4.43500 किमी.
12.	अस्थिर भूमि की लम्बाई	शून्य	शून्य

क्र.सं.	मार्ग का नाम	समरेखण (1) लाल रंग में	समरेखण (2) हरा रंग में
1	2	3	4
13.	साधन 1. लकड़ी 2. पत्थर 3. मजदूर	स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता	स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता
14.	पानी का निकास (अ) छोटे पुल संख्या व विस्तार (अ) बड़े पुल संख्या व विस्तार	1 स्पान 12 मी. 1 निर्मित	1 स्पान 15 मी. 1 निर्मित
15.	वर्षा एवं जलवायु की दशा	मार्ग सर्व ऋतु योग्य रहेगा। ठंडी जलवायु	समरेखण नं. 1 अनुसार
16.	लाभांविन्त ग्रामों की संख्या (अ) प्रत्यक्ष रूप से (ब) अप्रत्यक्ष रूप से	ग्राम का नाम कोड सं. जनसंख्या एस.सी. बरमाडी 00209700 431 टेमरिया पल्ला 00209800 81	समरेखण नं. 1 अनुसार —
17.	वर्तमान मार्ग से प्रस्तावित मार्ग का सम्बन्ध	यह मार्ग पूर्व में ही 4.500 कि.मी. लम्बाई में निर्मित है। उक्त मार्ग का समरेखण कि.मी. 4 से आगे प्रारम्भ होता है उक्त मार्ग का समरेखण पूर्व के पत्रांक शासनादेश संख्या 6391/68 याता.-07/ दिनांक 08.09.2007 द्वारा 5.435 कि.मी. लम्बाई हेतु स्वीकृत था। उक्त समरेखण पर वन भूमि प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया है पुनः उक्त मार्ग का सर्वेक्षण कार्य कर समरेखण प्रस्ताव 4.40 कि.मी. लम्बाई हेतु गटित किया गया है यह समरेखण पूर्व निर्मित मार्ग से आगे प्रारम्भ होकर टिमरिया-पल्ला-वल्ला को जोड़ते हुये मदाकिनी नदी पर निर्मित सेतु को जोड़ता है उक्त समरेखण निर्मित पुल के बाई ओर से किया गया है क्योंकि दांयी ओर भूमि धसाव भाग होने से	समरेखण नं. 1 अनुसार

क्र.सं.	मार्ग का नाम	समरेखण (1) लाल रंग में	समरेखण (2) हरा रंग में
1	2	3	4
13.	साधन 1. लकड़ी 2. पत्थर 3. मजदूर	स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता	स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता
14.	पानी का निकास (अ) छोटे पुल संख्या व विस्तार (अ) बड़े पुल संख्या व विस्तार	1 स्पान 12 मी. 1 निर्मित	1 स्पान 15 मी. 1 निर्मित
15.	वर्षा एवं जलवायु की दशा	मार्ग सर्व ऋतु योग्य रहेगा। ठंडी जलवायु	समरेखण नं. 1 अनुसार
16.	लाभांविन्त ग्रामों की संख्या (अ) प्रत्यक्ष रूप से (ब) अप्रत्यक्ष रूप से	ग्राम का नाम कोड सं. जनसंख्या एस.सी. बरमाडी 00209700 431 टेमरिया पल्ला 00209800 81	समरेखण नं. 1 अनुसार —
17.	वर्तमान मार्ग से प्रस्तावित मार्ग का सम्बन्ध	यह मार्ग पूर्व में ही 4.500 कि.मी. लम्बाई में निर्मित है। उक्त मार्ग का समरेखण कि.मी. 4 से आगे प्रारम्भ होता है उक्त मार्ग का समरेखण पूर्व के पत्रांक शासनादेश संख्या 6391/68 याता.-07/ दिनांक 08.09.2007 द्वारा 5.435 कि.मी. लम्बाई हेतु स्वीकृत था। उक्त समरेखण पर वन भूमि प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया है पुनः उक्त मार्ग का सर्वेक्षण कार्य कर समरेखण प्रस्ताव 4.40 कि.मी. लम्बाई हेतु गटित किया गया है यह समरेखण पूर्व निर्मित मार्ग से आगे प्रारम्भ होकर टिमरिया-पल्ला-वल्ला को जोड़ते हुये मदाकिनी नदी पर निर्मित सेतु को जोड़ता है उक्त समरेखण निर्मित पुल के बाई ओर से किया गया है क्योंकि दांयी ओर भूमि धसाव भाग होने से	समरेखण नं. 1 अनुसार

		मार्ग सुरक्षित नहीं उक्त मार्ग का निर्माण कार्य सेतु की ओर से प्रारम्भ किया जा सकता है क्योंकि सेतु से टिमरिया तक लगभग 2 कि.मी. तक नाप भूमि पड़ती है तथा ग्राम बरमाडी वासी नापभूमि देने में सहमत हैं तथा मार्ग निर्माण से निर्मित सेतु का भी सदुपयोग किया जा सकेगा तथा टिमरिया-पल्ला व टिमरिया पल्ला ग्राम एन. एच.-107 से जुड़ जायेगा तथा मार्ग नें निर्मित सेतु का भी सदुपयोग किया जा सकेगा	
18.	सामरिक महत्व	मुख्य मार्ग से जुड़ जाने के कारण मार्ग का संचार सम्बन्धी महत्व होगा।	समरेखण नं. 1 अनुसार
19	हेयर पिन बैंड	6 नं.	7 नं.
20	कृषि एवं फल की दृष्टि से महत्व	क्षेत्र की मुख्य पैदावर जैसे आलू,माल्टा, नीबू, नारंगी व, दालो आदि का दुलान स्थानीय बाजार में आसानी से पहुँचने के कारण बाजार की सुविधा मिलेगी।	समरेखण नं. 1 अनुसार

		मार्ग सुरक्षित नहीं उक्त मार्ग का निर्माण कार्य सेतु की ओर से प्रारम्भ किया जा सकता है क्योंकि सेतु से टिमरिया तक लगभग 2 कि.मी. तक नाप भूमि पड़ती है तथा ग्राम बरमाडी वासी नापभूमि देने में सहमत हैं तथा मार्ग निर्माण से निर्मित सेतु का भी सदुपयोग किया जा सकेगा तथा टिमरिया-पल्ला व टिमरिया पल्ला ग्राम एन. एच.-107 से जुड़ जायेगा तथा मार्ग नै निर्मित सेतु का भी सदुपयोग किया जा सकेगा	
18.	सामरिक महत्व	मुख्य मार्ग से जुड़ जाने के कारण मार्ग का संचार सम्बन्धी महत्व होगा।	समरेखण नं. 1 अनुसार
19	हेयर पिन बैंड	6 नं.	7 नं.
20	कृषि एवं फल की दृष्टि से महत्व	क्षेत्र की मुख्य पैदावर जैसे आलू,माल्टा, नीबू, नारंगी व, दालो आदि का दुलान स्थानीय बाजार में आसानी से पहुँचने के कारण बाजार की सुविधा मिलेगी।	समरेखण नं. 1 अनुसार

क्र.सं.	मद का नाम	समरेखण (1) लाल रंग में	समरेखण (2) हरा रंग में
1	2	3	4
21.	वन सम्पदा का उपयोग	जड़ी बूटी एवं अन्य वन सम्पदा का संरक्षण हो सकेगा।	समरेखण नं. 1 अनुसार
22.	खनिज सम्पदाओं का उपयोग।	खनिज सम्पदाओं का पता लगाने में मदद मिलेगी तथा खनिज का निर्यात होने से क्षेत्रीय जनता को लाभ मिलेगा।	समरेखण नं. 1 अनुसार
23.	लाभ व हानि	8. कठोर चट्टान कम पड़ेगी। 9. ग्राम वासियों के मकानों एवं विभागीय परिसम्पतियों को कोई क्षति नहीं होगी। 10. तकनीकी दृष्टि से यह संरेखण उपयोगी है। 11. इस संरेखण से ग्रामवासी भी पूर्ण रूप से सहमत है। 12. भूस्खलन क्षेत्र नहीं है। 13. स्वास्थ्य चिकित्सा क्षेत्र में स्थानीय जनता को लाभ मिलेगा। 14. हानि-मार्ग न बनने से स्वास्थ्य चिकित्सा क्षेत्र में स्थानीय जनता को लाभ नहीं मिलेगा।	6. कठोर चट्टाने अधिक पड़ेगी। 7. ग्राम वासियों के मकानों के क्षति होने की सम्भावना है। 8. नाप भूमि अधिक पड़ने, मकानों के ऊपर मलवा आने की सम्भावना के कारण स्थानीय जनता इस संरेखण से सन्तुष्ट नहीं है। 9. भूस्खलन होने की सम्भावना के कारण मार्ग तकनीकी दृष्टि से भी उपयोगी नहीं है। 10. भूस्खलन क्षेत्र है।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रो. प्रो. प्रो. निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिसारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

क्र.सं.	मद का नाम	समरेखण (1) लाल रंग में	समरेखण (2) हरा रंग में
1	2	3	4
21.	वन सम्पदा का उपयोग	जड़ी बूटी एवं अन्य वन सम्पदा का संरक्षण हो सकेगा।	समरेखण नं. 1 अनुसार
22.	खनिज सम्पदाओं का उपयोग।	खनिज सम्पदाओं का पता लगाने में मदद मिलेगी तथा खनिज का निर्यात होने से क्षेत्रीय जनता को लाभ मिलेगा।	समरेखण नं. 1 अनुसार
23.	लाभ व हानि	8. कठोर चट्टान कम पड़ेगी। 9. ग्राम वासियों के मकानों एवं विभागीय परिसम्पतियों को कोई क्षति नहीं होगी। 10. तकनीकी दृष्टि से यह संरेखण उपयोगी है। 11. इस संरेखण से ग्रामवासी भी पूर्ण रूप से सहमत है। 12. भूस्खलन क्षेत्र नहीं है। 13. स्वास्थ्य चिकित्सा क्षेत्र में स्थानीय जनता को लाभ मिलेगा। 14. हानि-मार्ग न बनने से स्वास्थ्य चिकित्सा क्षेत्र में स्थानीय जनता को लाभ नहीं मिलेगा।	6. कठोर चट्टाने अधिक पड़ेगी। 7. ग्राम वासियों के मकानों के क्षति होने की सम्भावना है। 8. नाप भूमि अधिक पड़ने, मकानों के ऊपर मलवा आने की सम्भावना के कारण स्थानीय जनता इस संरेखण से सन्तुष्ट नहीं है। 9. भूस्खलन होने की सम्भावना के कारण मार्ग तकनीकी दृष्टि से भी उपयोगी नहीं है। 10. भूस्खलन क्षेत्र है।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रो. प्रो. प्रो. निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिसारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सारांश

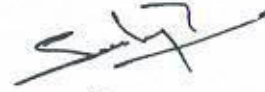
संलग्न तुलनात्मक विवरण से स्पष्ट है कि संरेखण संख्या (1) जो कि लाल रंग से दर्शाया गया है, आर्थिक, भौगोलिक एवं तकनीकी रूप से उपयोगी है तथा इस प्रस्तावित संरेखण से जनता सन्तुष्ट है।

अतः प्रस्तावित समरेखण नं. (1) जो मानचित्र में लाल रंग से दर्शाया गया है, संस्तुति सहित स्वीकृति हेतु प्रेषित है। मार्ग केवल 4.40 किमी. लम्बाई में निर्मित होना है, निर्माण कार्य कृषि भूमि आदि में किया जाना है।

अतः प्रस्तावित समरेखण नं. 1 जो कि लाल रंग से अंकित है, अनुमोदन करने की कृपा करें।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिशस्ती अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रो. प्रीति प्रजापति

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सारांश

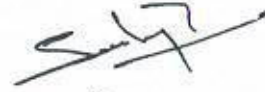
संलग्न तुलनात्मक विवरण से स्पष्ट है कि संरेखण संख्या (1) जो कि लाल रंग से दर्शाया गया है, आर्थिक, भौगोलिक एवं तकनीकी रूप से उपयोगी है तथा इस प्रस्तावित संरेखण से जनता सन्तुष्ट है।

अतः प्रस्तावित समरेखण नं. (1) जो मानचित्र में लाल रंग से दर्शाया गया है, संस्तुति सहित स्वीकृति हेतु प्रेषित है। मार्ग केवल 4.40 किमी. लम्बाई में निर्मित होना है, निर्माण कार्य कृषि भूमि आदि में किया जाना है।

अतः प्रस्तावित समरेखण नं. 1 जो कि लाल रंग से अंकित है, अनुमोदन करने की कृपा करें।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिशस्ती अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रो. प्रीति प्रजापति

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी वैकल्पिक समरंखण को कार्य स्थल पर मेरे द्वारा दर्शायी गयी तिथि को निरीक्षण के समय देख लिया गया है। तथा प्रस्तावित समरंखण कार्य स्थल की तकनीकी दृष्टि से उचित है।

- 1-कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा निरीक्षण की तिथि 9-09-2015
- 2-सहायक अभियन्ता द्वारा निरीक्षण की तिथि 9-09-2015
- 3-अधिशाली अभियन्ता द्वारा निरीक्षण की तिथि 9/09/2015

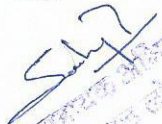
अतः प्रस्तावित समरंखण नं. 1 जो मानचित्र में लाल रंग से दर्शाया गया है, का अनुमोदन करने की कृपा करें।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

फोटो प्रति प्रमाणित


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

~~समरंखण अभियन्ता~~

प्रपत्र-13

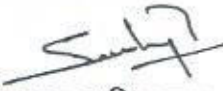
परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

विभिन्न विकल्पों का तुलनात्मक विवरण उसके निरस्त किये जाने का कारण का प्रमाण पत्र

संरेखण नम्बर	प्रभावित वन भूमि (है.में)	प्रभावित वृक्षा की संख्या	मार्ग की लम्बाई (कि०मी. में)	अन्य कारण (एच.पी.बैंड व अन्य भू-गर्भीय कारण)
संरेखण-1	1.451	159	1625	-----
संरेखण-2	2.063	180	2500	वनभूमि अधिक प्रभावित हो रही

उक्त तीनों संरेखणों में से संरेखण 1 उपयुक्त है।

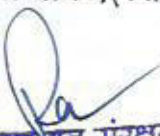

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


यूनिट अधिकारी, गुप्तकाशी उपप्रभाग
यूनिट गुप्तकाशी


ऊखीमठ उप वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


उप वन संरक्षक
ऊखीमठ उप वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग